प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 28.07.2026**

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 25.07.2026 को थाना भोगनीपुर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 25.07.2026 समय करीब 14.00 बजे वादी की पत्नी प्रियंका उम्र करीब 25 वर्ष को वादी के चचेरे भाई रोहित उर्फ छोटू पुत्र श्यामबाबू उर्फ सिपाहीलाल निवासी ग्राम गिरदौं थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा कुल्हाडी से मारकर हत्या कर मौके से फरार हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 252/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रोहित उर्फ छोटू पुत्र श्यामबाबू उर्फ सिपाहीलाल निवासी ग्राम गिरदौं थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया।** थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त **रोहित उर्फ छोटू पुत्र श्यामबाबू उर्फ सिपाहीलाल निवासी ग्राम गिरदौं थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात** को **गौराडांडा मोड़ के पास थाना क्षेत्र भोगनीपुर जनपद से** दिनांक 27.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुयार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. रोहित उर्फ छोटू उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र श्यामबाबू उर्फ सिपाहीलाल निवासी ग्राम गिरदौं थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्त..अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 25.07.2026 को सुबह मैं अपने पिता श्यामबाबू जो मजदूरी का काम करते है, को पुखरायां छोड़कर घर वापस आ गया था। पिछले एक हफ्ते से पंकज भैय्या की पत्नी प्रियंका के चाल-चलन से मैं काफी नाराज था। प्रतिदिन रात 09.30 बजे से 12.30 बजे तक मेरे मोहल्ले की लाइट नहीं रहती थी इसी अन्धेरे में कुछ लोग मेरी भाभी प्रियंका के घर पर आते थे। जिनको आते-जाते मैं रोज देखता था। इस बात को लेकर मेरे अन्दर काफी क्रोध बढ़ गया। दिनाँक 25.07.2026 को समय करीब 14.00 बजे मैं अपनी भाभी प्रियंका के घर पर सब्जी लेने गया। उनसे सब्जी लेकर मैंने उनको चाय बनाने के बहाने घर पर बुलाया तो वह चाय बनाने के लिये मेरे घर आयी। मैंने क्रोध में आकर चाय बनाते वक्त पीछे से उनके सिर पर दो बार और एक बार गले पर और एक बार चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किया। जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी और मैं घर से भाग गया था।

अभियुक्त रोहित उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 584/2021 धारा 323/325, 504/506 भादवि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 252/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी---

1. 01 कुल्हाड़ी (आला कत्ल)

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र बहादुर यादव
2. उ0नि0 श्री अतेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी देवीपुर,
3. का0 1098 अमित कुमार, चौकी देवीपुर
4. हे0का0 257 गजेन्द्र प्रताप सिंह चौकी देवीपुर
5. रि0का0 1302 धनंजय सारस्वत
6. रि0का0 760 सुशील कुमार
7. चा0का0 हर्ष चौधारी